न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 88/2019

प्रार्थी

गणपत सिंह पुत्र श्री गंगासिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :–

1. श्री गणपतसिंह अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 01.02.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की राजस्व गांव मोकलसर में खसरा संख्या 2235/884, 639, 2224/1642 ,2237/1615,1598,2226/1137,2228/1526,2232/640,2239/1597,2241/1414, 2243/1644,2245/1657 व राजस्व ग्राम महिलावास में खसरा संख्या 1988/1251,1990/1252 व 1992/1253 हैक्टयर भूमि आई तहसील सिवाना में हुई है उक्त भूमि पैतृक भूमि है प्रार्थी का नाम पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण भरते समय गुमानसिह पुत्र गंगासिह जाति राजपूत अंकित कर दिया था जिससे प्रार्थी को ग्राम मोकलसर व महिलावास में आये अपने उपरोक्त खातेदारी के खेतो से सम्बन्धित भूमि सुधार, कृषिऋण, सहाकारी समिति सदस्यता,उचित मूल्य के खाद–बीज को प्राप्त करने बैंक के लेन–देन इत्यादि कार्यो भारी दुविधा उत्पन्न हो रही है जिस हेतु दुरूस्ती बाबत उक्त अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का वास्ते रेकर्ड दुरूस्ती पेश किया गया।

तहसीलदार सिवाना द्वारा जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि माफिक इस्तदुआ आदेश किया जाता है तो राज्य सरकार के हित पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा ।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलो[illegible] राजकीय दस्तावेजात यथा परिवार राशन कार्ड आधार का[illegible]रत[illegible]स्टेट बैंक शाखा सिवाना द्वारा जारी बैंक की [illegible]माशाह [illegible] पत्र आदि में प्रार्थी का नाम गणपतसिंह पुत्र [illegible] अंकित है तथा पत्रावली पर उपलब्ध [illegible]दार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के संल[illegible] पटवारी रिपोर्ट अनुस[illegible] के मौजिज व्यक्तियों द्वारा भी प्रार्थी का नाम गणपतसिंह पुत्र गंगासिह ही बताया गया है। अतः उक्त अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:36:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट के संलग्न अनुसार स्वीकृति किया जाकर राजस्व गांव मोकलसर में खसरा संख्या 2235/884, 639, 2224/1642 ,2237/1615, 1598,2226/1137,2228/1526,2232/640,2239/1597,2241/1414,2243 /1644,2245/1657 व राजस्व ग्राम महिलावास में खसरा संख्या 1988/1251,1990/1252 व 1992/1253 हैक्टयर भूमि में अंकित अशुद्ध नाम "गुमानसिंह पुत्र गंगासिंह" के स्थान पर "**गणपतसिह पुत्र गंगासिंह** " शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना को आदेशित किया जाता है। आदेश की पालना भूमिधारक तहसीलदार सिवाना में एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 01.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:36:18 IST
Reason: SelfAttested